राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 464/2025

हेमपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/3) विभाग जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित) सह अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय राजीव गांधी जनरल अस्पताल, अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में करीब 550 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी Varicose vain की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है तथा

उसके पिता का मृत्यु दिनांक 27.12.2024 को होने के कारण उनकी माता जी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पडा है जिनका ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–2)। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा कोई सदस्य नहीं है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी के पद पर राजकीय राजीव गांधी जनरल अस्पताल, अलवर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य